न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 32/2020

संतोष कुमार पुत्र श्री मानक चन्द जाति अरोड़ा निवासी खाट लबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. तेजू राम पुत्र श्री किशन दास जाति अरोड़ा निवासी खाट लबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री सुरेश अरोडा, संजय जनवेजा – – प्रार्थी
2. श्री विनोद सिंवर – – अप्रार्थी 2
3. पैरोकार राज – – अप्रार्थी 3

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 03.07.2020

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 2 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 85/79 का मुरब्बा नम्बर 47 में कुल 2.415 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि दर्ज खातेदारी राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। प्रार्थी का पता वही है, जो कि प्रार्थना–पत्र के शीर्षक में अंकित है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 तेजू राम के नाम से इसी चक 2 एफ बड़ा के खाता संख्या 86/80 के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 21/2 में 0.013 है0 व किला नम्बर 22/4 में 0.012 है। कुल 0.025 है। नहरी रकबा संयुक्त खातेदारी का है। जिसके प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 बहिस्सा बराबर यानि 1/2–1/2 हिस्सा के मालिक है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। उक्त खाता संख्या 86/80 के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 21/2 का 0.013 है0 व किला नम्बर 22/4 का 0.012 है। कुल 0.025 है। मौका पर बतौर रास्ता चल रहा है तथा प्रार्थी अब तक इसी रास्ता से अपने खेत में आ जा रहा है, मगर उक्त रकबा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का खातेदारी होने के कारण हमेशा विवाद बना रहता है। इसलिए प्रार्थी उक्त रकबा को बतौर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी के पास उक्त में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। यही एकमात्र विकल्प है। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में जाकर कृषि कार्य करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी को अपने रकबा में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक अथवा स्वीकृत रास्ता नहीं है, प्रार्थी द्वारा केवल कृषि के सुविधाजनक उपयोग हेतु रास्ता की मांग नहीं की जा रही है, बल्कि प्रार्थी को अपने रकबा

Scanned by CamScanner

में आने–जाने व कृषि कार्य करने के लिए रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है। यह कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से इस रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिए कई बार कहा गया है, मगर पहले तो वह टाल–मटोल करता रहा, अब दिनांक 20.05.2020 को उसने सहमति से रास्ता देने से साफ इन्कार कर दिया गया है। यही वाद कारण हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना है कि प्रार्थी को उसके रकबा में आने–जाने के लिए चक 2 एफ बड़ा के खाता संख्या 86/80 के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 21/2 में 0.013 हैक्टर व किला नम्बर 22/4 में 0.012 हैक्टर कुल 0.025 हैक्टर नहरी रकबा (जो स्वंय प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज है) को बतौर रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा मौका जाँच रिपोर्ट पेश की जिसके मुताबिक मौका एवं रिकार्ड की रिपोर्ट भू0 अभिलेख मि0 कालिया /पटवारी हल्का खाट लबाणा से करवाई गई है जिसकी बिन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार से है:7

1– मुताबिक चक 2 एफ बडा की जमाबदी सम्वत 2072–75 के खाता सख्या 85/80 के मु0 न0 47 के किला न0 21/1=0.013, 22/4–0.012 कुल 0.025 हैक0 रकबा मे से होकर अपने रकबा के किला न0 23/2 24/2, 25 मे आता जाता है । मौका पर उक्त किला मे रास्ता चालू है लेकिन स्वीकृत शुदा नही है। मौका पर रास्ता का उपयोग अपने खेत मे आने –जाने के लिए कर रहा है।

2– यह कि प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नही है। ये ही चालू रास्ता निकटतम एवं उपयुक्त रास्ता है।

3–यह कि प्रार्थी अपने खेत मे आने दृजाने के उपरोक्त चालू रास्ता जो कि हिन्दुमलकोट–श्रीगगानगर पक्की सडक के साथ चिपता हुआ है जिससे प्रार्थी को आने जाने में आसानी रहती है। मौका नक्शा अवलोकनार्थ सलग्न है।

4–यह है कि प्रार्थी को अपने खेत मे आने दृजाने के लिए रास्ता दिया जाना अत्यत आवश्यक है। इसके अलावा कोई रास्ता नही है।

5– यह है कि बिन्दु सख्या 5 के अनुसार प्रार्थी आवागमन वास्ते कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है । प्रार्थी व अप्रार्थी आपस मे सहमति हो चुकी है जिसका शपथपत्र पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी के आपसी सहमति के हस्ताक्षर करवाये गये है जो मूल ही सलग्न सादर प्रेषित है। वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि मु0 न0 47 के किला न0 21/110012 22/4=0.012 (प्रत्येक एक– एक विस्वा) कुल रकबा 0.025 हैक0 रकबा का नियमानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मुताबिक रिकॉर्ड सही व सत्य है, अतः स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कथनों से कोई ऐतराज नहीं है, अप्रार्थी द्वारा अपनी स्वेच्छा से रास्ता छोड़ा हुआ है इसलिए रास्ता स्वीकार किया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है तथा अप्रार्थी किसी प्रकार के मुआवजा की मांग भी नहीं करता हैं तथा ना ही भविष्य में कोई मुआवजा बाबत मांग करेगा। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित तथ्य कि प्रार्थी के रकबा में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है, स्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 को रास्ता स्वीकार करने के लिए कोई आपति नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि

उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 2 एफ बड़ा के खाता संख्या 86/80 के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 21/2 में 0.013 हैक्टर व किला नम्बर 22/4 में 0.012 हैक्टर कुल 0.025 हैक्टर नहरी रकबा (जो प्रार्थी व अपार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज है) को बतौर रास्ता स्वीकृत किया जावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक 2 एफ बड़ा, पटवार हल्का खाटलबाना, कालियां खाता संख्या 85/79 मुरब्बा नम्बर 47, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक 2 एफ बड़ा, पटवार हल्का खाटलबाना, कालियां खाता संख्या 86/80 मुरब्बा नम्बर 47, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक 2 एफ बड़ा, पटवार हल्का खाटलबाना, कालियां खाता संख्या 27/50 मुरब्बा नम्बर 47, जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 चक 2 एफ बड़ा, पटवार हल्का खाटलबाना, कालियां खाता संख्या 50/65 मुरब्बा नम्बर 47, पेश की जिनका अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट के साथ प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 का हल्फनामा सहमति पत्र पेश किया जिसका अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व) द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए रास्ते का अभाव एवं रास्ते की आत्यन्तिक रास्ते की आवश्यकता को बताया है। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु " वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया जाता है। प्रार्थी के पास रास्ते का अभाव है, प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 1 की भी प्रार्थी को रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत सहमति है। प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित पाया गया। अतः प्रार्थी को उसके रकबा में आने–जाने के लिए चक 2 एफ बड़ा के खाता संख्या 86/80 के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 21/1 में 0.013 हैक्टर व किला नम्बर 22/4 में 0.012 हैक्टर कुल 0.025 हैक्टर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner